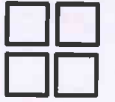




कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला

भोपाल



फाईल संख्या - BPLLP1056

पत्र क्रमांक - 20150619132224

दिनांक - 19/06/2015

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी
कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली,
भोपाल

विषय - ग्राम भौरी तहसील हुजुर जिला भोपाल स्थित जमीन के खसरा क्रमांक 5/1, 5/2, 6/1, 7/1/1/ख, 8/1/1/ख रकबा -24390 वर्ग मीटर पर आवासीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत करने के बाबत

सन्दर्भ - अनुविभागीय अधिकारी, भोपाल का पत्र क्रमांक- 352 दिनांक . 02.08.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आवेदन पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में इस कार्यालय में प्राप्त अभिलेखों में निम्न के अभाव में परिक्षण संभव नहीं है अतः आपको मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 14 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29 (1) के अधीन अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में नियम 29 एवं धारा 30(5) के तहत सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा नियम 14 के अन्तर्गत परिशिष्ट-“क”-1 में प्रस्तुत आवेदन के साथ नियम 16 (1)(क) एवं नियम 16 उपनियम (2) से (12) में यथाविहित निम्नलिखित दस्तावेज व जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आपको नियम 14 (3) के परिपेक्ष्य में आवेदन के प्रारंभिक परिक्षण उपरान्त निम्नलिखित कमियों की पूर्ति इस पत्र के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर किये जाने हेतु सूचित किया जाता है।

- 1 - यदि भूमि लीज की है, तो लीज डीड की अभिप्रमाणित छाया प्रति।
- 2 - कालोनी का प्रकरण होने की स्थिति में कालोनाईजर लायसेंस कि प्रमाणित प्रति (आवश्यक नहीं यदि प्रकरण कालोनी सेल के माध्यम से प्राप्त हुआ हो तो)।
- 3 - विकास प्राधिकरण की अनापत्ति की अभिप्रमाणित प्रति।
- 4 - विकास के प्रस्ताव संबंधी विस्तृत रिपोर्ट। (नियम 16 (1)(क) अनुसार)
- 5 - प्रश्नाधीन भूमि का निर्देशक रेखांक (की प्लान) नियम 16(3) अनुसार 1:10000 के मान से (अभिन्यास का भाग)।
- 6 - प्रश्नाधीन भूमि का स्थल रेखांक/साईट प्लान नियम 16 (4) (क) से (ठ) के अनुसार (10 हेक्टेयर तक 1:1000 व उस से बड़े स्थल के लिए 1:2000 के मान से)।
- 7 - प्रश्नाधीन भूमि के अभिन्यास रेखांक (ले आऊट प्लान) नियम 16 (5)(क) से (ज) में सम्मिलित अनुसार (1:500) के मान से यदि भूमि का आकार बड़ा हो तो 1:1000 के मान से जो आवेदक तथा सक्षम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार एवं अभिप्रमाणित।
- 8 - वाटर सप्लाई प्लान नियम 16 (7) अनुरूप।
- 9 - सीवेज/सीवरेज प्लान/जल निकास नियम 16 (7) अनुरूप।
- 10 - इलेक्ट्रिकल्स प्लान।
- 11 - नियम 16 (5)(ज) के अनुरूप रेन वाटर हारवेस्टिंग के उपायों की व्यवस्था।
- 12 - यदि भूमि स्वामी एक से अधिक है एवं एक परिवार के सदस्य नहीं है तो उनके विकास के संबंध में आपसे में किये गये रजिस्टर्ड अनुबंध की प्रति।
- 13 - मानचित्रों एवं आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों की साफ्ट कापी (सी.डी.) कार्यालय द्वारा चाहे जाने वाले फार्मेट (मानचित्र डॉट डीडब्ल्यू.जी)।
- 14 - भूमि स्वामी द्वारा यदि स्थल दिखाने या प्रकरण के संबंध में निर्णय लेने हेतु किसी अन्य को प्राधिकृत किया जाता है तब प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान पत्र, हस्ताक्षर के साथ प्राधिकृत किये जाने संबंधी पत्र।

- 15 - पार्किंग संबंधी गणना तथा पार्किंग दर्शाने वाला अभिन्यास जिसमें गाड़ियों की संख्या स्पट रूप से दर्शाया गया हो ।
- 16 - भूमि की सीमांकन रिपोर्ट (चतुर्सीमाओं सहित) तहसीलदार द्वारा सत्यापित सीमांकन मानचित्र मय फील्डबुक, पंचनामा एवं प्रतिवेदन सहित (स्पट प्रति)।
- 17 - शपथ-पत्र (पथ-पत्र का प्रारूप संलग्न) भवन परियोजना का नाम

एतद् द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में उपरोक्त जानकारी एक सप्ताह के भीतर जमा करें अन्यथा प्रकरण आपके स्तर पर लंबित माना जावेगा ।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जिलाभोपाल

प्रतिलिपि,

सृष्टि बिल्डिर्स एंव डवल्वर्स द्वारा गौरव जैन व पदम जैन अलार्क शॉपिंग काम्पलेक्स लालघाटी भोपाल भोपाल ।